

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।

पत्रांक : 2331 / 14-1 रामपुर, दिनांक 24 मई 2017
सेवा में,

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद क्षेत्र उ०प्र०,
मुरादाबाद।

विषय :- जनपद रामपुर में मै० इण्डियन ऑयल कार्पोरेशन लि०, बरेली द्वारा ग्राम रतुआ नगला, तहसील टाण्डा के खसरा सं० 209, मुरादाबाद-टाण्डा-दढ़ियाल मार्ग, किमी० 30.284 की दांयी पटरी पर पेट्रोल/डीजल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.059 है० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 07 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ - मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 2358/रामपुर/22793/2016 दिनांक 18.05.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयक प्रस्ताव के पृष्ठ सं० 29 पर प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 0.058998 है० अर्थात् 0.059 है० अंकित किया गया है, जिसके आधार राजस्व कम न होकर बढ़ रहा है, जिसमें किसी भी प्रकार राजकीय क्षति नहीं है। अतः भविष्य में प्रस्ताव में वन भूमि का क्षेत्रफल पूर्ण रूप से अंकित जायेगा।

भवदीय

(गजेन्द्र सिंह)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, रामपुर।